न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2018 आदेश दिनांक 13.11.2019

मंदिर श्री ठाकुरजी मूर्ति नाबालिग जरिये पुजारी हीरालाल दतक पुत्र बिदामी पत्नी स्व0 सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासीं ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत उडवाला पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 3 कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील आदेश ग्राम पंचायत उडवाला दिनांक 05.08.2016 नामान्तरकरण संख्या 858 रोही परावा बाबतं।

उपस्थित

1. श्री बजरंगसिंह एडवोकेट अपीलान्ट
2. श्री दीनदयाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट स0 2
3. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 3 अनुपस्थित

आदेश

अपीलान्ट की ओर से अपील इस आशय की पेश की गई कि ग्राम पंचायत उडवाला ने दिनांक 05.08.2016 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 858 स्वीकृत किया गया खिलाफ कानून के खिलाफ कायदा खिलाफ वाकेयात मिसल तथा विरूद्व नियम एवं प्राकृतिक न्याय के होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलान्ट मंदिर के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का एक खेत पुराना खसरा नंबर 107 तादादी 100 बीघा 06 बिश्वा जिसके सेटलमेन्ट के बाद खसरा नंबर 243 तादादी 56 बीघा 01 बिश्वा बने के वर्तमान खसरा नंबर 491/243 तादादी 25 बीघा वाके रोही परावा तहसील बीदासर में स्थित है। अपीलान्ट मंदिर की सेवा पूजा हीरालाल पुजारी करता है। उक्त कृषि भूमि रियासत के समय से अपीलान्ट मंदिर के नाम छोडे गये थे जो अपीलान्ट मंदिर के खातेदारी,कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में है। पुराना खसरा नंबर 107 खेत की खातेदारी सम्वत् 2002 से लेकर सम्वत् 2030 तक यथावत अपीलान्ट मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम बतौर खातेदार कृषक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। स्व0 ख्यालीराम ने खेत खसरा नंबर 243 तादादी 56 बीघा 01 बिश्वा की खातेदारी सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत करके अपने नाम दर्ज करवाई वो अपीलान्ट के मुकाबले आरम्भतः ही शून्य (void ab Inition) है। क्योंकि अपीलान्ट मंदिर मूर्त शाश्वत नाबालिग है इसलिये अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के अनुसार पुजारी या अन्य किसी को भी कानूनन नहीं मिल सकती। सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व अभिलेखों में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार गलत खातेदारी के आधार पर स्व0 ख्यालीराम द्वारा बिदामी के पक्ष में किया गया तमलीकनामां दिनांक 18.03.1977 गलत व अवैध तथा शून्य है। इसलिये उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की खातेदारी पहले स्व0 ख्यालीराम व उसके बाद बिदामी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई वो

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के अधिकारों के मुकाबले आरम्भतः शून्य (void ab Inition) है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बिदामीदेवी ने कभी गोद नहीं लिया था एवं न ही वो राजेन्द्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को गोद ले सकती थी क्योंकि बिदामीदेवी के पति स्व0 सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में ही हीरालाल पुत्र ख्यालीराम को बिदामीदेवी की पूर्ण सहमति से गोद ले लिया था। सुरजाराम के स्वर्गवास के पश्चात् सारे कियाकम जो हिन्दू धर्मानुसार पुत्र को करने होते है वो हीरालाल ने किये थे व पगडी भी समाज के व्यक्तियों ने हीरालाल के बंधवाई थी। उसके बाद बिदामीदेवी ने दिनांक 20.06.1984 को हीरालाल के पक्ष में पंजीकृत गोदनामां उप पंजीयक कार्यालय सुजानगढ में पंजीकृत करवा दिया था जिसको आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी ने भी चेलेन्ज नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके पिता ने बिदामीदेवी की वृद्वावस्था का अनुचित लाभ उठाते हुये बिना उसको बताये बहला फुसलाकर दिनांक 06.11.2006 को जो गोदनामां पंजीकृत करवाया है वो प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज है। क्योंकि एक व्यक्ति दो पुत्र गोद नहीं ले सकता। जब तक पहले व्यक्ति के पक्ष में किये गये पंजीकृत गोदनामें को सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं करवा लेता है। बिदामीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात् उसके पीछे सारे कियाकम हिन्दू धर्मानुसार ग्राम परावा में अपीलान्ट के पुजारी हीरालाल ने ही किये थे तथा हरिद्वार में फूल तैराना,गंगाप्रसादी,बारह दिन की बैठक आदि भी हीरालाल ने ही अपने घर पर की थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो कि एक चतुर व चालाक व्यक्ति है जिसने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो एक ग्रामीण महिला है से नामान्तरकरण संख्या 858 पर मृतक बिदामी पत्नी सुरजाराम के दतक पुत्र राजेन्द्र के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है कि टिप्पणी सरपंच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर करवाने के बाद फर्जी अंकित की है। पटवारी हल्का से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मिलीभगत कर बिना मृत्यु प्रमाणपत्र व बिना किसी प्रकार के वारिसों की जांच किये बाला–बाला नामान्तरकरण भरकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर नाजायज फायदा उठाते हुये नामान्तरकरण पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृत करवाया वो गलत एवं शून्य है। ग्राम पंचायत उडवाला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 858 का पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 बिना क्षेत्राधिकार के एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिये बाला–बाला रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व राजस्व कर्मचारियों की सांठ–गांठ से पारित किया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सर्व मान्य सिद्वान्त के खिलाफवर्जी में पारित किया हुआ होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं चिर निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो वर्तमान में भी जैरकार है तथा उक्त दावा के साथ प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था जो स्वीकार किया गया है। जिसकी अपील स्व0 बिदामीदेवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आज तक कहीं नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की भूमि का विवाद मान्य न्यायालय में जैरकार है इसकी सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को भली भांति थी फिर भी विवादित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकृत किया है जो स्पष्टतया उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस कारण भी यह नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पुजारी ने गांव में चर्चा सुनी की मंदिर वाले खेत को कई व्यक्ति देखने के लिये आ रहे है तथा उसको बेचने की भी चर्चा सुनी तो अपीलान्ट का पुजारी हीरालाल पटवारी हल्का के पास गया एवं इस खेत के रेकार्ड के बारे में जानकारी की तो पटवारी हल्का ने दिनांक 12.03.2018 को नकील दी तब अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का सर्व प्रथम ज्ञान हुआ उससे पूर्व अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट का पुजारी नकल लेने के बाद कुछ दिन बीमार हो जाने के कारण बिना विलम्ब के यह अपील पेश कर रहा है। एक तरफा तौर पर एवं बिना क्षेत्राधिकार के अगर कोई आदेश पारित किया

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

जाता है तो उक्त कार्यवाही कतई वायड ऐबिनिश्यू है जिसको किसी भी समय चुतौनी दी जा सकती है। ऐबिनिश्य बायड आदेश को धारा 3 परिसीमा अधिनियम के अधीन बाधित नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग है जिसमें अधिकारों की रक्षा करने का न्यायालय का कर्तव्य है। अपीलान्ट की यह अपील जानकारी से हर प्रकार से अंदर मियाद पेश की जा रही है। फिर भी कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अपील के साथ पेश किया। अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत उडवाला पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू द्वारा पारित किया गया है। इसलिये इस न्यायालय को इस अपील की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हर प्रकार से प्राप्त है। जानकारी के दिन से अपील अंदर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की ओर से श्री दीनदयाल एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकलातनामां पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अपील की लिखित बहस व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र का जबाब पेश किया व अपील की लिखित बहस पेश की।

लिखित बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि ख्यालीराम पुत्र चेनाराम जाति ब्राहमण निवासी परावा के नाम से खेत खसरा नंबर 243 तादादी 56 बीघा 1 बिश्वा वाके रोहीग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू में खातेदारी चली आ रही थी। ख्यालीराम के तीन पुत्र सुरजाराम बंशीलाल व हीरालाल हुए। उक्त बंशीलाल व हीरालाल अपने पिता ख्यालीराम से अलग रहते थे। तथा ख्यालीराम का बडा पुत्र सुरजाराम व उसकी पत्नी बीदामी ख्यालीराम के साथ रहती थी और ख्यालीराम की सेवा.स ुश्रषा देखभाल खाना दवाई पानी इत्यादि की व्यवस्था करते थे। ख्यालीराम के बडे पुत्र सुरजाराम का देहान्त हुआ उस समय सुरजाराम की पत्नी श्रीमती बीदामी के कोई सन्तान नहीं हुई थी बीदामी ख्यालीराम के साथ रहती और ख्यालीराम उसके गुजारे रोटी पानी की व्यवस्था करता था। ख्यालीराम ने सोचा कि मैं वृद्व हो गया मेरे भगवान के घर का बुलावा कभी भी आ सकता है। मेरे मरने के बाद इस बिदामी का गुजर बसर कैसे होगा। बिदामी ने दूसरी शादी करने से भी इंकार कर दिया तो ख्यालीराम ने बिदामी के जीवन यापन भरण पोषण आदि की पुख्ता व्यवस्था के लिये एक पंजीकृत दस्तावेज तमलीकनामां दिनांक 8.3.1977 को खेत खसरा नंबर 243 तादादी 56 बीघा 1 बिश्वा वाके रोही परावा तहसील बीदासर में से भूमि खेत तादादी 25 बीघा ख्यालीराम ने बिदामी के पक्ष में कर दिया था तथा उसी समय उक्त 25 बीघा भूमि बिदामी को संभला दिया था। तभी से उक्त 25 बीघा भूमि खेत पर बिदामी का ही कब्जा,काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उपरोक्त तमलीकनामां के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 31 के द्वारा उपरोक्त 25 बीघा भूमि खेत बिदामी के नाम दर्ज खातेदारी हो गई। बिदामी की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि खेत बिदामी के दतक पुत्र राजेन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज हो गई जो आज तक चली आ रही है। बिदामी ने अपने सगे भाई के पुत्र सगे भतीजे राजेन्द्र को बाल्यवस्था में ही सामाजिक रीति रिवाजानुसार गोद ले लिया था। तथा राजेन्द्र बिदामी के साथ ग्राम परावा तहसील बीदासर में रहता था। उपरोक्त 25 बीघा भूमि खेत पर बिदामी व राजेन्द्र काश्त करते आ रहे है। तथा बिदामी ने दिनांक 6.11.2006 को एक पंजीकृत गोदनामां कानूनी रूप से तैयार करवाया था और राजेन्द्र कानूनी रूप से दतक पुत्र होने के कारण बिदामी की मृत्यु होने के बाद उपरोक्त 25 बीघा भूमि खेत का नामान्तरकरण राजेन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। गांव के सरपंच व पंचायत को यह भली भांति यह जानकारी थी कि बिदामी के एकमात्र जायज

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वारिसान उसका दतक पुत्र राजेन्द्र है। इसलिए उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण बिदामी के एकमात्र पुत्र पुत्र राजेन्द्र के नाम दर्ज स्वीकृत किया गया और वर्तमान में उपरोक्त खेत की खातेदारी राजेन्द्र के नाम दर्ज चली आ रही है। जो नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8. 2016 के आधार पर ग्राम पंचायत उडवाला के द्वारा स्वीकृत की है। अपीलान्ट हीरालाल ने दिनांक 5.8.2016 के नामान्तरकरण की अपील दिनांक 09.04.2018 को पेश की है व विलम्ब की बात दिन प्रतिदिन के हिसाब से बतानी पडती है। अपील अंदर मियाद पेश नहीं की है और न ही विलम्ब के कारणों का साबित कर पाया इसलिए अपील इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है। अपीलान्ट हीरालाल द्वारा उक्त दावा दिनांक 11.10.2006 को पेश किया था जिसमें दिनांक 20.6.1984 को हीरालाल के पक्ष में किसी तरह का कोई गोदनामां का हवाला नहीं दिया गया जबकि उक्त हीरालाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8. 2016 के अपील में अपने गोदनामां का हवाला देते हुए अपील की है। उपरोक्त नामान्तरकरण दिनांक 5.8.2016 की हीरालाल को शुरू से ही जानकारी थी जबकि हीरालाल ने न्यायालय को भ्रमित करने के लिये दिनांक 12.03.2018 को जानकारी होना बताया जो कि गलत है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। बिदामी की मृत्यु कस्बा सुजानगढ में हुई थी और राजेन्द्र भी कस्बा सुजानगढ में निवास कर रहा है बिदामी का मृत्यु प्रमाणपत्र कार्यालय नगरपालिका सुजानगढ के राजेन्द्र के द्वारा तैयार करवाया गया। क्योंकि बिदामी का एकमात्र जायज वारिस दतक पुत्र राजेन्द्र है। नामान्तरकरण संख्या 31 के आधार पर बिदामी के नाम खातेदारी दर्ज उस नामान्तरकरण संख्या 31 की अपील आज दिनांक तक नहीं की है। तमलीकनामां दिनाक 18.3.1977 को आज तक सिविल न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया ना ही इसे सिविल न्यायालय से खारिज करवाया गया। गोदनामां राजेन्द्र का दिनांक 6.11.2006 आज तक सिविल न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया और ना ही सिविल न्यायालय से खारिज करवाया है। हीरालाल कभी उक्त वादग्रत भूमि मंदिर की बताता है तथा कभी अपने को बिदामी का गोदपुत्र बताकर उक्त खेत की खातेदारी अपने स्वयं के नाम दर्ज करवाना चाहता है। दोनों बातें विरोधाभाषी है वादी हीरालाल बिदामी का फर्जी गोदनामां बनवाकर बिदामी की खातेदारी हक हिस्सा को हडप करना चाहता है। अपील उचित कोर्ट फीस पेश नहीं हुई है ना ही शपथपत्र पूर्ण कोर्ट फीस है तथा शपथपत्र प्रमाणित नहीं है प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर उचित कोर्ट फीस पर पेश नहीं है ना ही शंपथपत्र पर कोर्ट फीस है तथा शपथपत्र प्रमाणित नहीं है इसलिए अपील व दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी राजेन्द्र दतक पुत्र स्व0 सुरजाराम व बिदामी की ओर से लिखित बहस अपील धारा 75 एल.आर. एक्ट एवं दफा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील गलत तथ्यों व न्यायालय को भ्रमित करके विधि विरूद्व पेश किया है तथा अंदर मियाद नहीं होने के कारण व बिना किसी ठोस के आधार पर होने से खारिज योग्य है खारिज फरमाया जावे।

अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8. 2016 छाया प्रति पंजीकृत गोदनामां दिनांक 12.6.1984 जो बिदामी द्वारा हीरालाल पुत्र ख्यालीराम के पक्ष में पंजीकृत करवाया है छाया प्रति राव बही छाया प्रति मिलान क्षेत्रफल छाया प्रति जमाबंदी सम्वत् 2002 छाया प्रति जमाबंदी सम्वत् 2010 जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2012 छाया प्रति जमाबंदी सम्वत् 2013 से 2016 छाया प्रति जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 है।

अपीलान्ट की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजेन्द्र की ओर से लिखित बहस का जबाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि अपीलान्ट मंदिर मूर्ति ठाकुरजी नाबालिग के खातेदारी व कब्जा काश्त का एक खेत पुराना खसरा नंबर 107 तादादी 100 बीघा 6 बिश्वा

लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

जिसके हाल खसरा नंबर 243 तादादी 56 बीघा 1 बिश्वा बने वर्तमान खसरा नंबर 491/243 तादादी 25 बीघा वाके रोही परावा वर्तमान तहसील बीदासर में स्थित है इस खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में सम्वत् 2002 से लेकर 2030 तक अपीलान्ट मंदिर के नाम दर्ज चली आ रही है। जिसको स्व0 ख्यालीराम ने सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर खिलाफ कानून व अवैधानिक रूप से नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी के अधिकारों के खिलाफ जाकर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाली जो प्रारम्भतः ही शून्य है। क्योंकि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के अनुसार अपीलान्ट मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी खातेदारी भूमि पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति को कानूनन नहीं दी जा सकती। इस प्रकार ख्यालीराम खसरा नंबर 243 का कभी भी कानूनन खातेदार नहीं रहा। ख्यालीराम व उसकी धर्मपत्नी जीवनपर्यन्त हीरालाल के साथ रहे थे। कभी भी सुरजाराम व उसकी पत्नी बिदामी के साथ नहीं रहे। सुरजाराम का स्वर्गवास हुआ तब ख्यालीराम व उसकी पत्नी वृद्व नहीं थे बल्कि स्वयं कमाने खाने के लायक थे उनकी उम्र उस वक्त 45 वर्ष के आस पास थी। इसलिए सुरजाराम व उसकी पत्नी द्वारा ख्यालीराम की सेवा देखभाल खाना दवाई पानी इत्यादि की व्यवस्था करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सुरजाराम का स्वर्गवास हुआ तब हीरालाल उनका दतक पुत्र था। जिसने सुरजाराम के सभी कियाकम इत्यादि किये थे। ख्यालीराम द्वारा तमलीकनामां दिनांक 18.3.1977 बिदामी के पक्ष में करवाया हुआ है वो गलत खातेदारी के आधार पर करवाया हुआ होने के कारण अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी के मुकाबले आरम्भत ही अवैध व शून्य है। इसलिए वादगत खेत की खातेदारी पहले ख्यालीराम उसके बाद बिदामी के नाम व बिदामी के स्वर्गवास के बाद राजेन्द्र के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई है वो अपीलान्ट के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भतः ही शून्य है। राजेन्द्र को स्व0 बिदामी ने कभी गोद लिया न ही राजेन्द्र के साथ ग्राम परावा में रहा था। बिदामी राजेन्द्र को गोद ले ही नहीं सकती थी। क्योंकि बिदामी के पति सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में ही हीरालाल पुत्र ख्यालीराम को बिदामीदेवी की पूर्ण सहमति से उसके बाल्यकाल में ही गोद ले लिया था। सुरजाराम के स्वर्गवास के बाद सारे कियाकय जो हिन्दू धर्मानुसार पुत्र को करने होते है वो सारे हीरालाल ने किये थे और पगडी भी समाज के लोगों ने हीरालाल को बंधवाई थी। उसके बाद बिदामी ने दिनांक 20.6.1984 को हीरालाल के पक्ष में पंजीकृत गोदनामां उप पंजीयक कार्यालय सुजानगढ में पंजीकृत करवा दिया था। जिसको आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी ने भी चेलेन्ज नहीं किया। राजेन्द्र व उसके पिता ने बिदामीदेवी की वृद्वावस्था का अनुचित लाभ उठाते हुए बिना उसको बताये बहला फुसलाकर दिनांक 6.11.2006 को जो गोदनामां पंजीकृत करवाया गया है वो प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज है। क्योंकि एक व्यक्ति दो पुत्र गोद नहीं ले सकता। जब तक पहले गोद लिये हुये व्यक्ति के पक्ष में किये गये गोदनामां को सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं करवा लेता है तब तक दूसरे पुत्र को कानूनन गोद नहीं ले सकता। बिदामीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात् उसके पीछे सारे कियाकय हिन्दू धर्मानुसार ग्राम परावा में हीरालाल ने किये थे। तथा हरिद्वार में फूल तैराना गंगाप्रसादी 12 दिन की बैठक इत्यादि सारे कार्य हीरालाल ने ही किये थे। ग्राम पंचायत उडवाला जो नामान्तरकरण संख्या 858 स्वीकृत किया गया है वो राजेन्द्र ने तत्कालीन पटवारी हल्का से सांठ गांठ करके बिना मृत्यु प्रमाणपत्र एवं बिना वारिसों की जांच किये प्राकृतिक न्याय के सर्व मान्य सिद्वान्त के खिलाफवर्जी में स्वीकृत किया हुआ होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। बिदामी का स्वर्गवास ग्राम परावा में हुआ था उसका मृत्यु प्रमाणपत्र ग्राम परावा से जारी किया हुआ है बिदामी का स्वर्गवास कस्बा सुजानगढ में हुआ ही नहीं था। यदि नगरपालिका सुजानगढ से कोई मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया हुआ है तो वो फर्जी है। बिदामी का एकमात्र जायज वारिस उसका दतक पुत्र हीरालाल है। कानून का यह सर्व मान्य सिद्वान्त है कि नामान्तरकरण फिसकल प्रोसिडिंग है इसमें किसी के अधिकारों का

लगातार 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

विनिश्चय नहीं होता इसलिए अपीलान्ट ने उक्त खातेदारी को प्रारम्भ शून्य तमलीकनामां को निरस्त करवाने के लिए दावा इस न्यायालय में पेश कर रखा है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 31 की अपील करने की अपीलान्ट को कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण अपील नहीं की है। वादगत भूमि हमेशा से ही मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी नाबालिग की है। जिसको कभी भी हीरालाल ने अपनी नहीं बताया एवं न ही हीरालाल ने बिदामी का गोद पुत्र बताकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही कहीं पर भी की है। नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी की खातेदारी भूमि को गलत रूप से सेटलमेन्ट कर्मचारियों से सांठ गांठ कर ख्यालीराम ने अपने नाम से दर्ज करवाया उक्त गलत खातेदारी के आधार पर ख्यालीराम ने बिदामीदेवी के नाम से जो तमलीकनामां पंजीकृत करवाया उसको खारिज करवाने के लिए अपीलान्ट मंदिर ने ही जरिये अपने पुजारी के सारी कानूनी कार्यवाही की है जो किसी भी प्रकार से विधि विरूद्व नहीं है इस न्यायालय में जैरकार दावा व इस अपील नामान्तरकरण में अपीलान्ट हीरालाल है ही नही तो खातेदारी हक हिस्सा को हडपने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस भूमि के संबंध में दावा व जो अपील चल रही है। उसमें अपीलान्ट मंदिर मूर्ति ठाकुरजी नाबालिग होने के कारण जरिये हीरालाल दावा व अपील पेश की है। जहां तक हीरालाल के पक्ष में किये गये पंजीकृत गोदानामां की बात है उक्त गोदनामां किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं है। क्योंकि यदि फर्जी होता तो उसको बिदामी निरस्त करवाने के लिए अवश्य ही कानूनी कार्यवाही करती जबकि उसने अपने जीवनकाल में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। तमलीकनामां गलत खातेदारी के आधारपर पंजीकृत करवाया हुआ होने के कारण यह दस्तावेज प्रारम्भतः ही शून्य है। जिसको सिविल न्यायालय में चेलेन्ज करने व सिविल न्यायालय से खारिज करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अपीलान्ट ने इस सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व रेकार्ड संशोधन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का दावा पेश कर रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कृषि भूमि से संबंधित विक्रय विलेखों में परिणित संव्यवहार जिसे प्रश्नगत करना चाहा है वह शून्य है तो उसके संबंध में अधिकारिता सिर्फ राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। जहां तक नामान्तरकरण की अपील का प्रश्न है वहां ग्राम पंचायत नें गलत रूप से बिदामी का राजेन्द्र को एकमात्र वारिस बताये जाने के कारण हीरालाल ने अपने पक्ष में किये गये गोदनामां को पेश किया। क्योंकि स्व0 बिदामी का एकमात्र वारिस उसका दतक पुत्र हीरालाल है। इस कारण गोदानामां को अपील के साथ पेश किया ताकि न्यायालय के समक्ष वास्तविकता आ सके। राजेन्द्र के नाम ग्राम पंचायत ने बिना किसी प्रकार की जांच किये एक तरफा तौर पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। वादगत वर्णित खसरा नंबर की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का वाद अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में जेरकार है। तथा उक्त दावा के साथ प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था जो स्वीकार किया हुआ है जिसकी अपील स्व0 बिदामीदेवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कहीं नहीं की। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विवाद न्यायालय में जैरकार है इसकी सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 को भली भांति थी फिर भी विवादित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकृत किया जो स्पष्टतया क्षेत्राधिकार से बाहर है। नामान्तरनकरण स्वीकार किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है न की सिर्फ सरपंच को उक्त नामान्तरकरण कभी भी ग्राम पंचायत की मिटिंग में पेश नहीं किया। न ही उस पर ग्राम पंचायत में आम मिटिंग में चर्चा हुई न ही ग्राम पंचायत में इस नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का प्रस्ताव लिया रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने तत्कालीन पटवारी से मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विश्वास में लेकर सिर्फ उसके हस्ताक्षर करवा लिये। हस्ताक्षरों के उपर जो लिखित की गई है वोह पटवारी हल्का द्वारा की गई है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत ग्राम पंचायत सिर्फ अविवादित नामान्तरकरण ही स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। उक्त खसरा नंबर के संबंध में खातेदारी अधिकारों के विवाद का वाद

लगातार 7 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

न्यायालय में जैरकार है। इसलिए इस नामान्तरकरण में अंकित खसरा नंबर विवादित था जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इसलिए ग्राम पंचायत ने स्पष्टतया अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने उचित कोर्ट पर अपनी अपील पेश की है तथा शपथपत्र पर भी कोर्ट फीस पूर्ण है। तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का उचित कोर्ट फीस पर पेश है। फिर भी यदि न्यायालय अपीलान्ट द्वारा पेश की गई फीस को कम मानती है तो अपीलान्ट कोर्ट द्वारा आदेशित कोर्ट फीस अदा करने के लिए तत्पर है। कोर्ट फीस के अभाव में किसी भी प्रकार से अपील खारिज नहीं की जा सकती। अपीलान्ट ने दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र विलम्ब माफी हेतु जो कारण अंकितकिये गये है वो पूर्णतया सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण व तर्क पूर्ण आधार दर्शाते हुए अंकित किये है एवं समुचित कारण भी दर्शाये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8.2016 अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खिलाफ कानून स्वीकृत किया है। जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने बिना किसी विलम्ब के मान्य न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। एक तरफा तौर पर एवं बिना क्षेत्राधिकार के यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उक्त कार्यवाही कतई वाईड एबिनिश्यू है। जिसको किसीभी समय चुनौती दी जा सकती है। अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग है जिसके अधिकारों की रक्षा करने का न्यायालय का कर्तव्य है।

उपरोक्त इन सभी तथ्यों से साबित होता है कि वादगत खेत मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी नाबालिग के खातेदारी,कब्जे,काश्त उपयोग उपभोग का था। उक्त खेत की खातेदारी स्व0 ख्यालीराम ने सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से सांठ गांठ व मिलीभगत कर गलत एवं अवैध रूप से अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाई तथा उक्त गलत खातेदारी के आधार पर स्व0 ख्यालीराम ने बिदामीदेवी के पक्ष में करवाया गया तमलीकनामां प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज है। जिसके आधार पर वादगत खेत की खातेदारी पहले श्री ख्यालीराम व उसके बाद बिदामीदेवी वर्तमान में राजेन्द्र के नाम दर्ज है वो अपीलान्ट मंदिर मूर्ति नाबालिग के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भत शून्य है। ग्राम पंचायत ने राजेन्द्र के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8.2016 को स्वीकृत किया है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफवर्जी तथा पूर्णतया क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत किया हुआ होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग है जिसके अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व न्यायालय का है। अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग होने के कारण स्वयं चाराजोही करने में सक्षम नहीं है। कानून का सर्व मान्य प्रतिपादित सिद्वान्त है कि एक तरफा तौर पर एवं बिना क्षेत्राधिकार के यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो वो कार्यवाही कतई वाईड एबिनिश्यू है। जिसको किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की अपील पेश करने में कोई जानबूझकर देरी नहीं की है। बल्कि अहम मजबूरीवश रही है। अपीलान्ट की अपील पूर्ण सद्भावी है तथा अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया है। अपीलान्ट ने विलम्ब क्षमा करने के संबंध में अपनी तरफ से सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण व तर्कपूर्ण आधार दर्शाया है तथा विलम्ब माफ हेतु समुचित कारण भी दर्शाया है। तथा सर्व प्रथम ज्ञान होने की दिनांक से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की है। कानून का यह भी सर्व मान्य सिद्वान्त है कि जहां गुणावगुण पर मामला निस्तारित किया जाना उचित होता है वहां विलम्ब माफ करने में न्यायालय को उदारता पूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

लगातार 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

Scanned by CamScanner

अतः राजेन्द्र की ओर से लिखित बहस का जबाव अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8.2016 को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2018 पेज 71 सतवीर आदि बनाम मंदिर ठाकुरजी आदि आर.आर.डी. 2018 पेज 235 वारिस कल्याणप्रसाद बनाम ठाकुरजी सीताराम आर.एल.डब्ल्यू 2019 (1) पेज 211 राजस्थान गीतादेवी आदि बनाम पुष्पचन्द आदि पेश किये।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8.2016 बिदामी के स्वर्गवास के पश्चात् विरासतन खोला गया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में न्यायालय का इस ओर ध्यान दिलाया कि वादगत खसरा नंबर 491/243 तादादी 25 बीघा वाके रोही परावा के संबंध में दावा मंदिर श्री ठाकुरजी जरिये हीरालाल बनाम बिदामीदेवी आदि खातेदारी अधिकारों की घोषणा राजस्व अभिलेखों में संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88,188,209 इस न्यायालय में पेश किया हुआ है जो वर्तमान में जैरकार है। जिसमें रेस्पोडेन्ट 2 राजेन्द्र भी प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा में भी आज की दिनांक में प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. के निर्णय हेतु नियत है। अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में तर्क दिया है कि नामान्तरकरण को अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत कर दिया जो गलत है। सर्व प्रथम अपील के मियाद के बिन्दु को तैय किया जाना है। अपीलान्ट ने इस गलत नामान्तरकरण का ज्ञान सर्व प्रथम दिनांक 12.3.2018 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुआ उससे पूर्व अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी से अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद है फिर भी अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया है रेस्पोडेन्ट ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र का जबाब प्रस्तुत किया है उसमें अपीलान्ट हीरालाल को समस्त बातों की जानकारी शुरू से ही थी इसलिए दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति ठाकुरजी जिसको शुरू से ही सारे तथ्यों का ज्ञान होना कतई संभव नहीं है अपीलान्ट ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दफा 5 मियाद अधिनियम के जबाब के साथ अपना शपथपत्र भी पेश नहीं किया है। अपील में विवादित खसरा नंबर जो अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज से सम्वत् 2002 से लेकर सम्वत् 2021 तक अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी शाश्वत नाबालिग है। जिसके खातेदारी के खेतों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के अनुसार पुजारी या किसी अन्य किसी व्यक्ति को कानूनन खातेदारी नहीं दी जा सकती है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि खसरा नंबर 491/243 तादादी 25 बीघा वाके रोही परावा में स्थित खेत का राजस्व वाद दिनांक 12.10.2006 से न्यायालय में विचाराधीन है तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में इस भूमि से संबधित अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जो अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किया गया है का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कोई प्रति उतर नहीं दिया है ना ही उसका कोई खण्डन किया है। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कारण अंकित किये गये है वो सन्तोषप्रद है तथा विलम्ब माफ हेतु समुचित कारण भी दर्शाये हुऐ है। जहां पर गुणावगुण पर मामला निस्तारित किया जाना उचित होता है वहां विलम्ब माफ करने में न्यायालय को उदारतापूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2018 पेज संख्या 71 में खण्डपीठ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान ने यह अभीनिर्धारित किया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयष्क है जिसके खातेदारी अधिकार अन्य व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वो उसके हितों की रक्षा करे। अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग होने के कारण तथा अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया है जिस

लगातार 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
कीवासर

Scanned by CamScanner

पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं होने के कारण अपीलान्ट का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद होने के कारण स्वीकार की जाती है।

नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8.2016 का अवलोकन किया जिसमें वारिस प्रमाणपत्र के संबंध में मृतक बिदामी पत्नी सुरजाराम के दतक पुत्र राजेन्द्र के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है अंकित किया है कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाणपत्र जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। वारिस प्रमाणपत्र सक्षम न्यायालय द्वारा ही जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को सिर्फ कुर्सीनामां जारी करने का अधिकार है। कुर्सीनामां भी ग्राम पंचायत की मिटिंग में प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत में इसके संबंध में प्रस्ताव लेकर बहुमत के आधार पर या सर्व सम्मति से जारी किया जाता है। नामान्तरकरण भी ग्राम पंचायत द्वारा ही स्वीकृत व अस्वीकृत किया जाता है। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत की मिटिंग में पेश किया जाता है और ग्राम पंचायत की मिटिंग में उस पर चर्चा होती है चर्चा के बाद ग्राम पंचायत नामान्तरकरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित करती है उक्त प्रस्ताव के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 5.8.2016 में न तो किसी प्रस्ताव का हवाला है एवं न ही किस प्रस्ताव द्वारा इसको स्वीकृत किया है इसके संबंध में कोई हवाला है। सिर्फ स्वीकृत शब्द लिखकर सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर है। अपील में वर्णित खसरा नंबर के संबंध में यह स्वीकृत तथ्य है कि खसरा नंबर 491/243 का वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अपीलान्ट वादी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 है। एवं इस अपील में विवादित नामान्तरकरण में अंकित खसरा नंबर 491/243 के संबंध में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी किया हुआ है इस प्रकार यह भूमि नामान्तरकरण दर्ज करनें के समय विवादित थी तथा इसके संबंध में अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की हुई थी उक्त सभी तथ्यों का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पूर्ण ज्ञान था। स्व0 बिदामी द्वारा हीरालाल पुत्र ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी परावा के पक्ष में दिनांक 12.6.1984 को उपपंजीयक कार्यालय सुजानगढ द्वारा पंजीकृत गोदनामां भी पत्रावली के साथ संलग्न है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना भी नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि किसी भी प्रकार का आदेश पारित करते समय प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहियें। हीरालाल के पक्ष में स्व0 बिदामीदेवी द्वारा पंजीकृत गोदनामां दिनांक 20.6.1984 का है जबकि रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र ने अपने आपको दिनांक 6.11.2006 को बिदामीदेवी द्वारा पंजीकृत गोदनामां से गोद लिया जाना बता रहा है। यह सही है कि कोई व्यक्ति दो पुत्रों को गोद नहीं ले सकता पहले गोद लिये गये व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत करवाये गये गोदनामां को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं करवा दिया जाता है तब तक वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पंजीकृत गोदनामां द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत ग्राम पंचायत सिर्फ अविवादित नामान्तरकरण की ही सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार रखती है। इस नामान्तरकरण में अंकित खसरा नंबर विवादित था जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 858 बिना किसी जांच के दर्ज कर दियां जिसको स्वीकृत करने वाले अधिकारी ने भी बिना किसी सही रूप की जांच के व बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये तथा न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में गलत रूप से स्वीकृत कर दिया। इसलिए अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य पाया जाता है।

लगातार 10 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीकर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है व जैर अपील आदेश दिनांक 5.8.2016 नामान्तरकरण संख्या 858 निरस्त किया जाता है व तहसीलदार बीदासर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वादगत भूमि का नामान्तरकरण दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देकर नियमांनुसार दर्ज किया जावे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बीदासर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner